न्यायालय : सहायक कलक्टर(एसडीओ), देसूरी (पाली) राजस्थान
पिठासीन अधिकारी : श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– 14 / 2021
वाद दर्ज दिनांक 23 / 02 / 2021

वादीगण:–

1– दिनेशसिंह पुत्र शैतानसिंहजी, आयु 48 वर्ष, जाति पुरोहित,
2– मनोहरसिंह पुत्र शैतानसिंहजी, आयु 50 वर्ष, जाति पुरोहित,
तमाम निवासी मादा, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादिगण :–

01– पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंहजी, आयु 53 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी मादा, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान
02– राजस्थान सरकार जरिये भूमीधारी तहसीदार देसूरी, जिला पाली, राजस्थान

वाद अन्तर्गत् धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित::–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली,
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नेनाराम मेघवाल
3. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

"निर्णय"

दिनांक 14 / 07 / 2022

वकील वादिगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया कि वादीगण आपस में सगे भाई है, वादीगण के पिता और प्रतिवादी आपस [illegible] थे। जिनके सहखातेदारी की कृषि भूमि मौजा सरहद गाव [illegible] संख्या 1542, 1570, 1573, 1576, 1580, खसरा संख्या 505 / 1941, 571, 59[illegible]52 कुल खसरे 09 कुल र[illegible] 7600 हैक्टर कुल देय लगान 24.99 रुपयें की सहखातेदारी कृषि भूमि विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जिस उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या एक को 1/2 हिस्सा तथा वादीगण के पिता को 1/2 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार निहित हुए थे। वादीगण की माता और बहनों द्वारा हक त्याग करने वादीगण को वादग्रस्त आराजी में बहिस्सा बराबर बराबर के हक अधिकार निहित हुए है। वादग्रस्त आराजी के भू अधिकार अभिलेखों में दोराने सेग्रीगेशन हिस्सों का इन्द्राज 1/4, 1/8, 1/7, 1/28 किया गया जो गलत रूपेण किया गया है। जिससे वादीगण द्वारा वास्तविक एवं सही हिस्सों की स्वीकारोक्ति करते हुए वाद पेश किया जा रहा है। वादीगण आपस में दोनों ही सगे भाई है; वादीगण की माता एव बहनों ने दिनांक 19.10.2020 को हक त्याग का दस्तावेज निष्पादित करते समय वादी दिनेशसिंह का नाम इन्द्राज किया था लेकिन उक्त दस्तावेज के जरिये वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर के हक अधिकार निहित होते है, वादीगण वादग्रस्त आराजी में बहिस्सा बराबर बराबर स्वीकार करते है इसलिये आज पूर्व निष्पादित हक त्याग विलेखों के इन्द्राज वादग्रस्त आराजी बाबत् वादीगण के बहिस्सा बराबर बराबर के स्वतः ही प्रभाव शुन्य होना स्वीकार करते हुए आपसी सहमती से वादीगण वाद खातेदारी हक अधिकार और खातेदारी हिस्सों की घोषणा का एवं वादग्रस्त आराजी का वादी और प्रतिवादी के मध्य में आपसी सहमती से मौके पर विभाजन किया जाकर अलग अलग कब्जा प्राप्त कर, माफिक विभाजन सहमति से बंटवाडा किया गया है, वादी दिनेश कुमार के बंट में खसरा संख्या 1570 क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टर, वादी मनोहसिंह के बंट में खसरा संख्या 1576 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टर प्रतिवादी पृथ्वीसिह के बंट में खसरा संख्या 1542 क्षेत्रफल 0.06 हैक्टर, खसरा संख्या 1573 क्षेत्रफल 0.33 हैक्टर, खसरा संख्या 1580 क्षेत्रफल 0.11 हैक्टर, वादी और प्रतिवादी के संयुक्त खसरा संख्या 505/1941, 571, 590, 752 की भूमि रखी गई है। इस प्रकार किये गये बंटवाडा [illegible] है, वादग्रस्त आराजी का किया गया विभाजन को स्वीका[illegible] करवाने हेतु प्रतिवादी को बार बार निवे[illegible] तहसीलदार देसूरी के समक्ष उपस्थित नहीं होने से वादी द्वारा विभाजन का वा[illegible]स्तुत करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होने से वादग्रस्त आराजी के बंटवाडा बाबत यह वाद विरूद्ध

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 89, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया गया।

इस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन किया जाकर तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक ने जवाबदावा मय शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या एक ने वादी के वाद को स्वीकार कर माफिक वाद वादग्रस्त आराजी के हिस्सों का खातेदार घोषित कर वादग्रस्त आराजी का वाद में वर्णित अनुसार विभाजन करने की डिक्री जारी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या तीन भूमिधारी तहसीलदार वाद में फोर्मल पक्षकार है। इस प्रकार वादी के वाद की प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति की जाने से वाद में विवाद्यक नहीं बनाये गये।

वादी की ओर से पीडब्ल्यु एक दिनेशसिंह के बयान लिये गये। वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श एक जमाबंदी प्रदर्श करवाई गई। पक्षकारान ने माफिक जवाबदावा एवं वाद के अभिवचनों को स्वीकार करते हुए, माफिक सहमति लोक अदालत की भावना से वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1989 पेज 547 भूरा बनाम सुडी पेश करते हुए यह भी निवेदन किया कि वाद के विचाराधीन रहते पक्षकारान में सहमति हो जाता है तब विभाजन की अंतिम डिक्री माफिक समझौता जारी की जा सकती है। अतः माफिक अनुतोष और सहमति वाद को डिक्री किया जावें। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, वादी द्वारा पत्रावली मे दस्तावेज जमाबंदी पेश की हुई है।

वादी के वाद का प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति दी गई और पक्षकारान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर माफिक वाद अनुतोष वाद डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में वादी के वाद को डिक्री करने की स्वीकारोक्ति न्यायालय द्वारा की गई है। वादीगण और प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने और विभाजन को स्वीकार करने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

आदेश

अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यह है कि मौजा सरहद गांव मादा के खसरा संख्या 1542, 1570, 1573, 1576, 1580, 505/1941, 571, 590, 752 कुल खसरा 09 कुल क्षेत्रफल 01.7600 हैक्टर कुल देय लगान 24.99 रुपयें की वादग्रस्त आराजी का वादी संख्या एक को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या दो को 1/4 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या एक को 1/2 हिस्सा के खातेदारी की जोत घोषित की है। वादीगण और प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में किये गये विभाजन से वाद पद संख्या चार में वर्णित अनुसार वादी संख्या एक दिनेशसिह के बंट व हिस्सा में खसरा संख्या 1570 रकबा 0.2100 हैक्टर की कृषि भूमि, वादी सख्या दो मनोहरसिंह के बंट व हिस्सा में खसरा संख्या 1576 रकबा 0.2700 हैक्टर की कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या एक पृथ्वीसिंह के बंट व हिस्सा में खसरा सख्या 1580, 1573, 1542 कुल रकबा रकबा 0.5000 हैक्टर की तथा शेष खसरा संख्या 505/1941, 571, 590, 752 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या दो का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक के 1/2 हिस्सा की संयुक्त रखकर माफिक वाद पद संख्या चार के वादग्रस्त आराजी को विभाजित किया जाता है। तहसीलदार देसूरी माफिक विभाजन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें, अलग अलग लगान तय करें,। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर(एसडीओ),
देसूरी(राज.)

निर्णय आज दिनांक 15/07/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर(एसडीओ),
देसूरी(राज.)

अंतिम डिकी बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली) राजस्थान

पिठासीन अधिकारी : श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– 14/2021

वाद दर्ज दिनांक 23/02/2021

वादीगणः–

1– दिनेशसिंह पुत्र शैतानसिंहजी, आयु 48 वर्ष, जाति पुरोहित,

2– मनोहरसिंह पुत्र शैतानसिंहजी, आयु 50 वर्ष, जाति पुरोहित,

तमाम निवासी मादा, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादिगण :–

01– पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंहजी, आयु 53 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी मादा, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान

02– राजस्थान सरकार जरिये भूमीधारी तहसीदार देसूरी, जिला पाली, राजस्थान

वाद अन्तर्गत् धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली,
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नेनाराम मेघवाल
3. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजीर दिनेश कुमार माली अधिवक्ता मिनजाबिन, अधिवक्ता नेनाराम मेघवाल मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि मौजा सरहद गांव मादा के खसरा संख्या 1542, 1570, 1573, 1576, 1580, 505/1941, 571, 590, 752 कुल खसरा 09 कुल क्षेत्रफल 01.7600 हैक्टर कुल देय लगान 24.99 रुपये की वादग्र[illegible] का वादी संख्या एक को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या दो [illegible] को 1/2 हिस्सा के खातेदारी [illegible] वादीगण और प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में किये गये विभाजन से वाद पद संख्या [illegible] में वर्णित अनुसार वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी
वादी– दिनेशसिंह बनाम प्रतिवादिगण– पृथ्वीसिंह वगैरा

संख्या एक दिनेशसिंह के बंट व हिस्सा में खसरा संख्या 1570 रकबा 0.2100 हैक्टर की कृषि भूमि, वादी संख्या दो मनोहरसिंह के बंट व हिस्सा में खसरा संख्या 1576 रकबा 0.2700 हैक्टर की कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या एक पृथ्वीसिंह के बंट व हिस्सा में खसरा संख्या 1580, 1573, 1542 कुल रकबा रकबा 0.5000 हैक्टर की तथा शेष खसरा संख्या 505/1941, 571, 590, 752 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या दो का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक के 1/2 हिस्सा की संयुक्त रखकर माफिक वाद पद संख्या चार के वादग्रस्त आराजी को विभाजित किया जाता है। तहसीलदार देसूरी माफिक विभाजन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें, अलग अलग लगान तय करें।

लीज .... मुबकिल .... बाबत .... खर्चा इस मुकददमें मय सुद व .... शहर .... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीखः– 14/07/2022

मोहर

सहायक कलेक्टर

ओहदाः– सहायक कलेक्टर (एसडीओ),
देसूरी(राज.)

मुददई	रुपया	पैसा	मुददायला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबनइजराय हुक्मनामा		
बाबन इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल [illegible] नहीं हो दर्ज किया जाना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.16 15:28:47 IST
Reason: SelfAttested